इकाई–VII

अध्याय–14

केन्द्रीय व्यवस्थापिकाः संरचना एवं भूमिका
(Central Legislature : Composition and Role)

भारतीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल को संसद की संज्ञा दी गयी है। भारतीय राज व्यवस्था में कार्यपालिका की तरह व्यवस्थापिका का गठन भी दो स्तर पर हुआ है– संघ स्तर पर संघीय व्यवस्थापिका व राज्य स्तर पर राज्य व्यवस्थापिका।

संघीय व्यवस्थापिका (Union Legislature)

राष्ट्रीय स्तर पर संविधान में व्यवस्थापिका के लिए दो सदनों का प्रावधान किया गया हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 में यह प्रावधान रखा गया है कि : 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिन्हें क्रमशः राज्य सभा तथा लोकसभा के नाम से जाना जाएगा। संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार की व्यवस्थापिका को प्रमुखतः इस कारण अपनाया क्योंकि भारतीय एक लम्बे समय से इस व्यवस्था से परिचित थे। 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियमों में केन्द्र में द्वि सदनीय व्यवस्थापिका की व्यवस्था की गयी थी। इसके अलावा भारत में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान रखा गया। इस कारण एक सदन जब आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है तो दूसरा सदन, संघ की इकाइयों (राज्य और केन्द्र प्रशासित क्षेत्र) का प्रतिनिधित्व करता है।

भारतीय संविधान मे संघीय स्तर पर द्वि सदनीय व्यवस्थापिका को 'संसद' अथवा 'पार्लियामेंट' कहा जाता है। संसद के निम्नलिखित तीन अंग है –

(1) राज्यसभा (Rajya Sabha): यह उच्च सदन है, जिसमें राज्यों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

(2) लोकसभा (Lok Sabha) : यह निम्न सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं।

(3) राष्ट्रपति (President): यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति की कानून निर्माण के क्षेत्र में भी भूमिका होती है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता , परन्तु वह इसका तीसरा अंग होता है।

राज्यसभा (Council of States / Rajya Sabha)

राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और उसका अभिन्न अंग भी है। इसे द्वितीय सदन व 'वयोवृद्ध' सदन भी कहा जाता है।

संरचना (Composition) : लोकसभा की तुलना में राज्य सभा एक लघु सदन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, इस सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है। राज्य सभा में सदस्यों का चयन दो आधार पर किया जाता है (i) मनोनयन (ii) निर्वाचन के आधार पर

राज्य सभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं। राष्ट्रपति ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो कि विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान या अनुभव रखते हों। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते है। मनोनीत 12 सदस्यों के अलावा शेष सदस्य राज्यों और केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में से निर्वाचित किये जाते हैं। हमारे संविधान में इकाइयों को अमेरिका की तरह समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था नहीं है अपितु इकाइयों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। राज्य की जनसंख्या के प्रथम 50 लाख व्यक्तियों तक प्रति 10 लाख के लिए एक और उसके बाद प्रति 20 लाख पर एक के हिसाब से प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रावधान है।

राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन : राज्य सभा के सदस्यों का निवार्चन संघ के विभिन्न क्षेत्रों की विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जिन संघीय क्षेत्रों में विधान सभाएँ नहीं होती है वहाँ पर राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन के लिए विशेष निर्वाचक मण्डल गठित किये जाते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अनुसार राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधान सभा के चुने हुये सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अन्तर्गत एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।

राजस्थान से राज्य सभा में 10 सदस्य यहाँ की विधान सभा द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

सदस्यों की योग्यताएँ (Qualifications of the Members)

राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु संविधान के अनुच्छेद 84 द्वारा निम्न लिखित योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं –

(1) वह भारत का नागरिक हो

(2) वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो

(3) वह किसी लाभ के पद पर न हो।

(4) उसके पास वे सब योग्यताएँ हो जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित की गयी हों।

1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, राज्य सभा के सदस्य के लिए आवश्यक है कि उसका नाम, उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो, जिस राज्य से वह राज्य सभा का चुनाव लड़ना चाहता है।

कार्यकाल (Tenure) – राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसे राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता है।

राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परन्तु सभी सदस्यों का निवार्चन एक साथ नहीं होता है। इसके कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई भाग, प्रति दो वर्ष पश्चात् पद निवृत्त हो जाते है, और उनके स्थान पर नवीन एक तिहाई सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं। इस प्रकार राज्य सभा का स्थायित्व व निरन्तरता बनी रहती है। इसके अलावा सदस्य समय से पूर्व त्याग पत्र भी दे सकता है या कोई व्यक्ति सदस्यता के दौरान कोई अयोग्यता ग्रहण कर लेता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

गणपूर्ति (Quorum)– राज्य सभा की कार्यवाही के संचालन हेतु आवश्यक गणपूर्ति, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग निर्धारित की गयी है।

पदाधिकारी (Presiding Officers) – राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं – सभापति व उपसभापति। संविधान के अनुच्छेद 89 के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापित निर्वाचित करेगी। अनुच्छेद 91 (i) के अनुसार राज्यसभा में सभापति का पद रिक्त हो या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो अर्थात् सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का निर्वहन करता है। यदि उपसभापति का पद रिक्त हो तो, राज्यसभा का ऐसा सदस्य, जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, इस पद के कर्त्तव्यों को निर्वहन करेगा। इनका वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। ये विधान मण्डल के अध्यक्षों की भॉति सदन में अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने, सदन की कार्यवाहियों का संचालन, कार्यवाही सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय, सदस्यों को भाषण देने की अनुमति एवं प्रश्नो पर मतदान एवं उसका परिणाम घोषित करने आदि कार्यो को करते हैं।

राज्य सभा के अधिकार कार्य और शक्तियॉं
(Rights, Functions and Powers of Rajya Sabha)

राज्यसभा को लोकसभा का सहायक व सहयोगी सदन माना जाता है। इसके प्रमुख अधिकार व शक्तियॉं निम्नलिखित हैं :

(1) विधायी या कानून निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ (Legislative Powers) : संघीय व्यवस्थापिका (संसद) का प्रमुख एवं महत्त्वपूर्ण कार्य है– विधि निर्माण करना। इस दृष्टि से दोनों लोकसभा व राज्यसभा को साधारण विधेयकों (अवित्तीय) पर विधि निर्माण का समान अधिकार है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात् ही विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। इस तरह राज्यसभा साधारण विधेयकों को अस्वीकार कर सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है।

व्यवहार में सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश किये जाते हैं। यदि साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जावे या दूसरा सदन विधेयक को स्वीकृत न करके उसे 6 माह तक रोके रखे, ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसके अन्तर्गत विधेयक का निर्णय दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत के आधार पर लिया जाता है। 1961 में 'दहेज निषेध विधेयक' (Dowry Abolition Bill) व मई 1978 में "बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक" पर विचार करने हेतु दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गयी थी।

(2) कार्यपालिका सम्बन्धी शक्तियाँ (Executive Powers) :

भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। इस कारण राज्य सभा के सदस्यों को सरकार से (मंत्रिपरिषद) प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव तथा कामरोको प्रस्ताव रखने, प्रशासन से जानकारी प्राप्त करने व सरकार की आलोचना करने का अधिकार तो है परन्तु उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाने का अधिकार नहीं है। यह केवल लोकसभा के पास है। अतः कार्यपालिका शक्ति अर्थात् शासन पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाया गया है।

(3) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Power) : संविधान द्वारा वित्तीय विषयों में राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को अधिक शक्तियाँ प्रदान की गयी है।, फिर भी राज्यसभा वित्तीय क्षेत्र में कुछ शक्तियों का प्रयोग करती है। संविधान के अनुसार, वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से, वित्तमंत्री द्वारा, सर्वप्रथम, लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा को ही इसे स्वीकृत, अस्वीकृत, कटौती एवं संशोधन करने सम्बन्धी अधिकार प्राप्त है। लोकसभा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्त विधेयक राज्यसभा में पेश होता है। राज्य सभा, वित्त विधेयक या बजट पर 14 दिन तक विचार विमर्श कर सकती है। इन चौदह दिनों में यदि राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित नहीं करती है या उसे रोके रखती है तो विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा वित्त विधेयकों पर अपना सुझाव प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रकार के सुझाव व संशोधनों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यसभा उसे सुझाव मानने हेतु बाध्य नहीं कर सकती है। इस प्रकार वित्त विधेयक या बजट पर राज्य सभा को केवल 14 दिन तक रोके रखने का अधिकार प्राप्त है। अतः इस दृष्टि से राज्य सभा लोकसभा की तुलना में एक निर्बल सदन माना जाता है। फिर भी कभी–कभी राज्य सभा द्वारा दिये गये सुझाव लोकसभा में विचारणीय होते हैं।

(4) संविधान संशोधन की शक्ति (Power of Amending the Constitution) : संविधान में संशोधन के क्षेत्र में लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु दोनों ही सदनों में निर्धारित बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होती है। संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। अतः एक सदन की असहमति होने पर संशोधन विधेयक स्वतः ही अस्वीकृत माना जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन के सम्बन्ध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। 1978 में 45वाँ संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित करने के पश्चात् राज्य सभा में गया तो उसने कुछ संशोधन कर दिये। लोकसभा ने राज्यसभा के द्वारा किये गये संशोधनों को मान लिया। इस तरह इस दृष्टि से दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है।

(5) निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ (Elective Powers) : राज्यसभा को निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ भी प्राप्त है जैसे अनुच्छेद 54(i) के अनुसार, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मण्डल के अंग है, अर्थात् राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते है। अनुच्छेद 66(ii) के अनुसार, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्यो के साथ उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।

(6) विविध शक्तियाँ (Miscellaneous Powers) : राज्यसभा को निम्न लिखित विविध शक्तियाँ प्राप्त हैं :

(i) महाभियोग लगाने का अधिकार : राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को महाभियोग द्वारा अपदस्थ कर सकती है। महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों की स्वीकृति के पश्चात् ही मान्य हेाता है।

(ii) राज्यसभा, लोकसभा के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति को भी महाभियोग लगाकर पदच्युत कर सकती है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा की स्वीकृति के पश्चात् यह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। दोनों सदनों की स्वीकृति के बाद ही उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है।

(iii) राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन भी लोकसभा के साथ–साथ राज्य सभा द्वारा भी होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में अनुमोदन केवल राज्यसभा से लेना अनिवार्य है।

(7) अनन्य शक्तियाँ या विशेष अधिकार (Exculsive Powers) : राज्य सभा को संघीय शासन में संघ की इकाइयों का प्रतिनिधि सदन होने के कारण दो ऐसी अनन्य शक्तियाँ प्राप्त है जो कि लोकसभा को प्राप्त नहीं है। ये दो शक्तियाँ हैं :

(i) राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने का अधिकारः : संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार , राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान में सम्मिलित होने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है। राज्य सूची के उस विषय पर एक वर्ष के लिये संसद कानून बना सकती है।

(ii) अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार , राज्य सभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर केन्द्र सरकार द्वारा नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जा सकती है। इस तरह राज्य सभा को ही राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवा की रचना करने का अधिकार है।

राज्य सभा की शक्तियों के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वित्तीय मामलों में व शासन पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से यह लोकसभा की तुलना में एक कमजोर सदन है। परन्तु राज्य सभा न सिर्फ द्वितीय सदन है, अपितु द्वितीय महत्त्व का सदन भी है। इस तरह राज्यसभा न तो ब्रिटिश लॉर्डसभा की तरह एक निर्बल सदन है और न ही अमेरीकी सीनेट की तरह एक शक्तिशाली सदन है। इसकी स्थिति दोनों के मध्य की मानी जा सकती है।

लोकसभा (House of the People / Lok Sabha)

लोकसभा एक जन प्रतिनिधि सभा है। संघीय संसद के निम्न सदन, प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय नागरिकों का सदन हैं।

संरचना (Composition)

प्रारम्भ में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 रखी गयी थी जो कि समय–समय पर परिवर्तित होती रही है। 1956 में संविधान के सातवें संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 520 कर दिया गया। 1974 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम 547 (545 निर्वाचित व 2 मनोनीत सदस्य) निश्चित की गयी। इसके पश्चात् 1987 में निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या (530+20+2) = 552 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की 545 सदस्य संख्या है। इनमें से 530 राज्यों से, 13 संघ शासित क्षेत्रों से व दो सदस्य निर्वाचित न होने पर एंग्लो इण्डियन समुदाय में से मनोनीत किये जाते हैं। भारतीय संविधान में प्रावधान रखा गया है कि प्रति दस वर्ष पश्चात् होने वाली जनगणना के आधार पर 'परिसीमन आयोग' लोकसभा में राज्य व केन्द्र शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण करेगा।

84 वें संविधान संशोधन के अनुसार 2001 के बाद भी लोकसभा की सदस्य संख्या एवं लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व मे कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

निर्वाचन (Election)

लोकसभा का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रारम्भ में 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वयस्क माना जाता था, 1988–89 में भारतीय संविधान में 61वें संशोधन के अनुसार वयस्कता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय रखे गये हैं। मूल संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों हेतु 10 वर्ष की अवधि हेतु स्थान सुरक्षित रखने थे। जिन्हें 62वें संविधान संशोधन (1990) के अनुसार, 25 जनवरी 2000 ई तक, एवं 79 वें संवैधानिक संशोधन (1999) के अनुसार, अब उसे 25 जनवरी 2010 ई तक, स्थान आरक्षित कर दिये गये हैं।

लोकसभा की सदस्यता हेतु अर्हताएं (Qualifications for the members of Lok-Sabha)

संविधान के अनुच्छेद 84 द्वारा, लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं :

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

(iii) उसमें वह सब योग्यताएँ हों, जिन्हें संसद निर्मित विधि के द्वारा विहित किया जाए।

सदस्यता के लिए अनहर्ताएँ (Disqualifications for the members)

अनु0 102 के अनुसार, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य चुनने के लिए अयोग्य होगा यदि वह :–

(i) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण किये हो।

(ii) वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल ठहराया गया हो,

(iii) वह दिवालिया हो।

(iv) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के लिए दोषी पाये जाने पर निवार्चन आयोग द्वारा संसद का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

(v) वह विदेशी हो अर्थात भारत का नागरिक न हो।

(vi) संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो या संसद व राज्य विधान मण्डल दोनों का सदस्य हो तो किसी एक सदन की सदस्यता

छोड़नी पड़ती है।

कार्यकाल (Term)

लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि प्रधान मंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इस अवधि को आपात उद्घोषणा के लागू होने की स्थिति में संसद कानून बनाकर एक वर्ष के लिये बढ़ा सकती है।

लोकसभा का सत्र, सत्रावसान और विघटन (Session, Prorogation and dissolution of Loksabha) –

संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, लोकसभा का अधिवेशन एक वर्ष में दो बार बुलाना आवश्यक है और दोनों में 6 माह से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। इसका अधिवेशन बुलाने व स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अनु. 85(2) के अनुसार, राष्ट्रपति समय–समय पर किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा।

गणपूर्ति (Quorum)

लोकसभा की बैठक की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों के दसवें भाग को माना जाता था। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार, सदन की बैठक की गणपूर्ति सदन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी।

पदाधिकारी (Presiding officers of the Lok Sabha)

लोकसभा के प्रमुख पदाधिकारी एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोकसभा अपने में से ही दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगी। अनुच्छेद 95 के अनुसार, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति इस पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पास कर दे। इस प्रकार के प्रस्ताव को पेश करने हेतु 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।

संविधान के अनुसार, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वे सभी वेतन व भत्ते मिलते है जिन्हें संसद समय–समय पर निर्धारित करें। दोनों ही पदाधिकारियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा केन्द्रीय मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं।

अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ (Functions and powers of the Speaker)

भारत में लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ तथा कार्य निम्नलिखित हैं :

(i) वह लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है।

(ii) वह सदन में शान्ति, व्यवस्था व अनुशासन बनाये रखने का कार्य करता है।

(iii) वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में विचार–विमर्श व वाद–विवाद का समय निश्चित करता है।

(iv) वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्वीकार अथवा नियम विरूद्ध होने पर अस्वीकार करता है।

(v) लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं।

(vi) अध्यक्ष ही बजट सम्बन्धी भाषणों की समय सीमा निश्चित करता है।

(vii) लोकसभा अध्यक्ष ही सदस्यों को भाषण देने की अनुमति प्रदान करता है एवं भाषणों के क्रम का भी निर्धारण करता है।

(viii) संसद और राष्ट्रपति के मध्य सम्पूर्ण पत्र व्यवहार उसके ही द्वारा होता है।

(ix) अध्यक्ष, सदन की कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है।

(x) वह संविधान तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों की व्याख्या करता है।

(xi) अध्यक्ष को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है परन्तु निर्णायक मत दे सकता है।

(xii) वह सदन द्वारा पास किये गये विधेयकों को प्रमाणित करता है।

(xiii) वह संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन होने पर उसकी अध्यक्षता करता है।

(xiv) 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर अध्यक्ष, दल बदल पर उठे किसी प्रश्न पर निर्णय प्रदान करता है।

(xv) वह सदस्यों के त्याग पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करता है।

इस प्रकार लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियॉ व अधिकार काफी व्यापक व विस्तृत है। वह सदन की प्रतिष्ठा, गरिमा व विशेषाधिकारों को बनाये रखता है एवं उसका पद बड़े उत्तरदायित्व का होता हैं। पं. नेहरू के शब्दों में "अध्यक्ष सदन के गौरव

तथा सदन की स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है।"

लोकसभा की शक्तियाँ व कार्य (Powers and Functions of Lok-Sabha)

लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था में कानून बनाने और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण की निर्णायक शक्ति जनप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाये जाने के कारण संविधान द्वारा राज्य सभा की तुलना में लोकसभा को ही अधिक महत्त्वपूर्ण शक्तियॉं व प्रभावपूर्ण स्थिति प्राप्त है। लोकसभा की प्रमुख शक्तियाँ व कार्यों को निम्न रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है –

(1) विधायी या कानून निर्माण सम्बन्धी शक्तियाँ (Legislative powers)

संविधान के अनुसार, भारत में संसद संघ सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण का कार्य करती है। आपात काल में व अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने पर कानून निर्माण का कार्य, संसद, राज्य सूची के विषयों पर भी करती है।

सामान्यतः साधारण विधेयक संसद के दोनों ही सदनों में पेश किये जा सकते है और उस पर दोनों ही सदनों की सहमति आवश्यक होती है। परन्तु व्यवहार में महत्त्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही पेश किये जाते हैं। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर सम्बन्धित विधेयक पर निर्णय किया जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्य सभा की दुगुनी से भी ज्यादा होती है अतः विधेयक पर निर्णय लोक सभा की इच्छा के अनुरूप ही होता है। इस प्रकार विधि निर्माण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णायक शक्ति लोकसभा के पास होती है।

(2) वित्तीय शक्तियाँ (Financial Powers)

भारतीय संविधान में वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को राज्य सभा की तुलना में अधिक प्रधानता एवं प्राथमिकता प्रदान की गयी है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किये जा सकते हैं, राज्य सभा में नहीं। लोकसभा का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। लोकसभा द्वारा पारित होने के पश्चात् ही वित्त विधेयक व बजट राज्य सभा में पेश किया जाता है। राज्य सभा के पास जाने पर वह उसे – (i) पारित कर दे (ii) कुछ संशोधनों या सुझावों सहित लौटा दे या (iii) वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। प्रथम स्थिति में राज्य सभा द्वारा पारित करने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेज दिया जाता है। राज्य सभा द्वारा दिये गये सुझावों एवं संशोधनों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि राज्य सभा वित्त विधेयक पर 14 दिन तक कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है तो वित्त विधेयक या बजट लोकसभा द्वारा पारित रूप में ही मान लिए जाएंगे। इस तरह वित्त सम्बन्धी क्षेत्र में राज्य सभा को केवल मात्र 14 दिन तक रोके रखने का अधिकार है। वित्त विधेयक व बजट के अलावा अन्य अनुदान सम्बन्धी माँगें भी लोकसभा में ही पेश की जाती हैं। कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं इस विषय में भी निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को ही प्राप्त होता है। अतः वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा, राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली सदन है।

(3) कार्यपालिका अर्थात् शासन पर नियंत्रण (Power to Conrol the Executive or Government)

भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गयी है। संसदीय शासन में संघीय कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में भी मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है, जब तक की उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। सरकार के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। लोकसभा शासन व कार्यपालिका पर अनेक प्रकार से नियंत्रण रखती हैं जैसे –

(i) प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछकर : लोकसभा के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति व शासन के कार्यों के सम्बन्ध में प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

(ii) आलोचना व निंदा द्वारा : लोकसभा के सदस्य सरकार के कार्यों व नीतियों की आलोचना व निंदा कर सकते हैं।

(iii) विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकृत करके : लोकसभा के सदस्य सरकारी विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तुत करके, जिससे सरकार की असहमति हो, या सरकारी विधेयक अथवा बजट को अस्वीकार करके अपना विरोध अभिव्यक्त कर सकती है।

(iv) कामरोको व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा : लोकसभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव व कामरोको प्रस्ताव पास करके भी सरकार के कार्यों व नीतियों की त्रुटियों को उजागर कर सकती है।

(v) अविश्वास प्रस्ताव : लोकसभा की कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) पर नियंत्रण की महत्त्वपूर्ण शक्ति अविश्वास प्रस्ताव है। वह मंत्रिपरिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकती है। जैसा कि 7 नवम्बर 1990 को अप्रैल 99 में लोकसभा से विश्वास मत प्राप्त न होने के कारण सरकार को त्याग पत्र देने पड़े।

(vi) अनेक आयोगो के प्रतिवेदनों पर विचार करके : लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग, वित्त अयोग, भाषा आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करके भी कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।

राज्य सभा को भी प्रश्न, पूरक प्रश्न, आलोचना, निंदा व कामरोको प्रस्ताव लाने का अधिकार है परन्तु अविश्वास प्रस्ताव केवल लोक सभा द्वारा ही लाया जा सकता है। अतः कार्यपालिका पर नियंत्रण की दृष्टि से भी राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को अधिक महत्त्वपूर्ण व प्रभावशाली शक्तियॉं प्रदान की गयी है।

(4) संविधान संशोधन करने सम्बन्धी शक्तियाँ (Power to Amend the Constitution)

संविधान द्वारा विधि निर्माण के साथ–साथ संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दिया गया है जिसके द्वारा संशोधन की तीन विधियाँ निर्धारित की गयी हैं – (i) साधारण बहुमत से (i) कुल सदस्यों के बहुमत एवं उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से (i) संसद के विशेष बहुमत एवं भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति से।

संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जाता है, कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों मे संसद के साथ–साथ आधे राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस दृष्टि से संसद के दोनों सदनों की शक्तियाँ समान है। संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते हैं और वे तभी पारित माने जाएँगें, जब संसद के दोनों सदन पृथक–पृथक अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से उसे पारित कर दें। संशोधन प्रस्ताव पारित होने हेतु दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है क्योंकि गतिरोध की अवस्था में इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) निवार्चन सम्बन्धी कार्य (Elective Functions)

लोकसभा निर्वाचक मण्डल के रूप में भी कार्य करती है। वह प्रमुख रूप से निम्न निर्वाचनों में भाग लेती है –

(i) राष्ट्रपति के निर्वाचन में – अनुच्छेद 54 के अनुसार, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं।

(ii) उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में – अनुच्छेद 66 के अनुसार, लोकसभा और राज्य सभा मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है।

(iii) अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन – लोकसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही सदन का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है।

(6) कुछ उच्च अधिकारियों को पदच्युत करने सम्बन्धी कार्य (Functions regarding dismissing Higher Officers)

(i) लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर पद से हटाने की कार्यवाही कर सकती है। महाभियोग की कार्यवाही संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारम्भ की जा सकती है। दोनों सदनों द्वारा महाभियोग स्वीकृत करने पर राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ता है।

(ii) उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव का प्रारम्भ, राज्य सभा में किया जाता है। राज्य सभा में प्रस्ताव पारित होने पर वह लोकसभा में आता है। यदि लोकसभा उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दे तो उपराष्ट्रपति को अपना पद त्यागना होता है।

(iii) लोकसभा अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को भी पद से हटा सकती है।

(iv) सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों (मुख्य न्यायाधीश सहित) को हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत से एक ही सत्र में पास कर दिया जावे तो राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त कर सकता है।

(7) विविध कार्य (Miscellaneous Functions)

(i) आपात काल की घोषणा की स्वीकृति : जब राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 , 356 व 360 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उसकी स्वीकृति संसद के द्वारा एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत लेनी होती है। स्वीकृति के अभाव में इस प्रकार की घोषणा एक माह बाद स्वतः ही समाप्त हो जाती है।

(ii) विभिन्न आयोगों जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आदि के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर लोकसभा और राज्य सभा में विचार विमर्श किया जाता है।

(iii) यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी को सर्वक्षमा प्रदान की जाती है तो उसकी स्वीकृति भी संसद से ली जाती है।

(iv) लोकसभा जनप्रतिनिधि सदन होता है। इस कारण यह जनता और शासन के मध्य कड़ी का कार्य करता है। इस सदन के सदस्य लोकसभा में प्रश्नों, प्रस्तावों और वाद विवाद के द्वारा जनता की शिकायतें और भावनाएँ सरकार तक पहुँचाते हैं एवं इस बात के लिए सचेष्ट रहते हैं कि शासन की नीतियाँ एवं कार्य जनहित के अनुरूप सम्पन्न होवें।

उपरोक्त शक्तियों एवं कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि लोकसभा के पास में महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ और कार्य है एवं यह संसद का अति महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली सदन है। यह एक लोकप्रिय जन प्रतिनिधि सदन है। इसलिए कुछ लोग लोकसभा को ही संसद का पर्याय मानते है।

संसद के दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) की तुलनात्मक स्थिति

संसद के दोनों सदनों के अधिकारों, उनके कार्यों तथा उनकी संरचना के आधार पर दोनों सदनों का तुलनात्मक अवलोकन कर सकते हैं :

संरचना के आधार पर

(i) लोकसभा संसद का निम्न सदन है जिसे जनप्रतिनिधि सदन एवं लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है जबकि राज्यसभा उच्च सदन एवं द्वितीय व वरिष्ठ सदन के नाम से जाना जाता है।

(ii) लोक सभा एक प्रतिनिधि सदन है जो कि भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है जबकि राज्यसभा संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है।

(iii) लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जबकि राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मतपद्धति व अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाता है।

(iv) लोकसभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण करना आवश्यक है जबकि राज्य सभा सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण करना अनिवार्य है।

(v) कार्यकाल की दृष्टि से भी दोनों सदनों में अन्तर है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष है, जबकि राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जाता है, अपितु इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष पश्चात् अपना स्थान रिक्त करते रहते हैं। इस प्रकार राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

शक्तियों व कार्यों के आधार पर ।

(i) वे कार्य व अधिकार जिनमें लोकसभा राज्य सभा से अधिक शक्तिशाली है।

(ii) वे कार्य व अधिकार जिनमें लोकसभा व राज्य सभा की स्थिति समान है।

(iii) वे कार्य व अधिकार जिनमें राज्यसभा लोकसभा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है।

वे कार्य व अधिकार क्षेत्र जिनमें लोकसभा राज्य सभा से अधिक प्रभावशाली है

(1) **वित्त विधेयकों के सम्बन्ध में :** संविधान में वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। राज्य सभा के पास वित्तीय शक्तियाँ प्रायः नगण्य हैं। कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोक सभा में ही पेश किये जाते हैं। लोकसभा में पारित होने के पश्चात् वे राज्य सभा में जाते है। राज्यसभा को उसे 14 दिन में स्वीकृत करना होता है। यदि इस अवधि में वह इसे कुछ सुझावो व संशोधनों सहित पुनः लोकसभा में लौटा देती है तो यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन संशोधनों एवं सुझावों को वह स्वीकार करे या नहीं। यदि राज्य सभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोके रखे तो यह विधेयक स्वतः ही उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप में लोकसभा ने उसे पारित किया था। इस प्रकार राज्यसभा को वित्त विधेयक को मात्र 14 दिन विलम्बित करने का अधिकार है। इस विषय में प्रमुख अधिकार लोकसभा के पास ही है।

(2) मंत्रि–परिषद् पर नियंत्रण के सम्बन्ध में : भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन में मंत्रि–परिषद् संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा मंत्रि–परिषद् के सदस्यों से प्रश्न व पूरक प्रश्न पूछ सकती है। आलोचना व निंदा कर सकती है, कामरोको व स्थगन प्रस्ताव ला सकती है, शासन के कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकती है परन्तु अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे पदच्युत नहीं कर सकती है। मंत्रिमण्डल को पदच्युत करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास है। अतः मंत्रि–परिषद् पर नियंत्रण की दृष्टि से लोकसभा राज्य सभा से अधिक

शक्तिशाली सदन है।

(3) साधारण विधेयक के सम्बन्ध में : सैद्धांतिक दृष्टि से साधारण विधेयक के सम्बन्ध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त है। साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में से पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा साधारण विधेयक को संशोधित कर सकती है उसे अस्वीकृत कर सकती है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात् ही साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते है।

परन्तु व्यवहारिक दृष्टि से देखा जावे तो महत्त्वपूर्ण विधेयक पहले लोकसभा में ही पेश किये जाते हैं। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर संविधान के अनुच्छेद 108 के प्रावधानानुसार, राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, जिसकी अध्यक्षता भी लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को बहुमत के आधार पर पास किया जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या राज्य सभा की सदस्य संख्या से दुगुनी से भी अधिक होती है, इस कारण विधेयक लोकसभा की इच्छानुसार ही स्वीकृत होता है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि साधारण विधेयक के विषय में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त है।

वे कार्य व अधिकार जिसमें लोकसभा और राज्य सभा की स्थिति समान है

(i) संविधान में संशोधन की दृष्टि से – संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत दी गयी संशोधन प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार, संविधान में संशोधन करने की दृष्टि से दोनों सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) को समान शक्तियाँ प्राप्त है। संविधान में संशोधन से सम्बन्धित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। ऐसे विधेयकों को दोनों ही सदनों में पारित होना अनिवार्य है। राज्य सभा द्वारा उसमें सुझाव व संशोधन यदि दिये जाते हैं तो लोकसभा द्वारा सहमति देने पर ही संविधान में संशोधन संभव है। दोनों सदनों में किसी संशोधन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति है तो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है क्योंकि साधारण विधेयक की तरह संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अतः संविधान संशोधन की शक्ति के आधार पर दोनों सदनों की समान स्थिति है।

(ii) निर्वाचन सम्बन्धी शक्तियाँ – राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों की समान शक्तियाँ है। इन दोनों के निर्वाचन में दोनों ही सदनों (लोकसभा व राज्यसभा) के सदस्य समान रूप से भाग लेते हैं।

(iii)महाभियोग सम्बन्धी शक्तियाँ : राष्ट्रपति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को महाभियोग लगाकर पदच्युत करने के विषय में दोनों ही सदनों को समान अधिकार व शक्तियाँ प्राप्त हैं। पदच्युति का कोई भी प्रस्ताव तब तक मान्य नहीं हो सकता है, जब तक दोनों ही सदनों द्वारा पास न कर दिया जावे।

(iv)आपात काल की घोषणा की स्वीकृति : राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352, 356 व 360 के अन्तर्गत की जाने वाली आपात काल की घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा होना अनिवार्य है।

(v) आयोगों के प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श : संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अल्प संख्यक आयोग एवं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श दोनों ही सदनों में किया जाता है।

वे कार्य व अधिकार जिनमें राज्यसभा, लोकसभा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है

(i) राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने का अधिकार : संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्य सभा राज्य सूची के किसी भी विषय को उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित कर सकती है। ऐसा होने पर उस विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इस प्रकार का कानून 1 वर्ष तक लागू रहता है।

(ii) नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना : संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, राज्य सभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास कर सकती है। इस प्रकार का प्रस्ताव भी उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से ही स्वीकृत किया जाता है।

(iii)उपराष्ट्रपति पर महाभियोग : उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने हेतु महाभियोग प्रस्ताव पहले राज्यसभा में ही लगाया जाता है, लोकसभा में नहीं। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि लोकसभा एक लोकप्रिय व जनप्रतिनिधि सदन है। अतः संसदीय शासन के अन्तर्गत लोकप्रिय सदन को ही अधिक शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त होते है। भारत में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण व शक्तिशाली सदन बनाया गया है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने राज्य सभा को प्रथम सदन का पूरक व सहयोगी सदन के रूप में बनाया है। अतः राज्य सभा की स्थिति भी अपने स्थान पर सुदृढ़ है। भारत में राज्य सभा अमेरिका की सीनेट के समान शक्तिशाली नहीं है तो ब्रिटिश लार्ड सभा की तरह निर्बल व कमजोर सदन भी नहीं है। अतः यह लोकसभा का सहायक व सहयोगी सदन है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के तीन अंग हैं (i) उच्च सदन– राज्य सभा (ii) निम्न सदन (लोक सभा) (iii) राष्ट्रपति
- राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 245 है।
- राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अर्न्तगत एकल संक्रमणीय मतपद्धति द्वारा किया जाता है।
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
- राज्यसभा की प्रमुख शक्तियाँ– (i) विधायी या कानून निर्माण संबधी शक्तियाँ (ii) कार्यपालिका संबधी शक्तियाँ (iii) संविधान संशोधन की शक्ति (iv) निर्वाचन संबधी शक्तियाँ (v) महाभियोग लगाने का अधिकार (vi) आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन (vii) राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने का अधिकार (viii) अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार
- लोकसभा भारतीय प्रजातंत्र का महत्त्वपूर्ण सदन है वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 इनमें 530 राज्यों से व 13 संघशासित राज्यों और 2 सदस्य एंग्लोइंडियन समुदाय में से मनोनीत किये जाते हैं।
- लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष मतदान द्वारा करती है। मतदान 18 वर्ष की आयु के नागरिक करते हैं।
- लोकसभा सांसदों का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
- लोकसभा की कार्यवाही का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दो बार बुलाना आवश्यक है और उन दोनों अधिवेशनों की अवधि में 6 माह से ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिये।
- लोकसभा या संसद अपने कार्यों अथवा शक्तियों के तहत कानून निर्माण करती है। इसके अन्य कार्य तथा शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ है। शासन या कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान में संशोधन की शक्ति, निर्वाचन के कार्य, उच्च अधिकारियों को पदच्युत करने की शक्ति, विभिन्न आयोगों के प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श।
- संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की तुलनात्मक स्थिति के रूप में लोकसभा के पास ज्यादा अधिकार और शक्तियाँ और कुछ ही मामलों में जैसे राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने का अधिकार, नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग में राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

(1) सामूहिक रूप से केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् जिसके प्रति उत्तरदायी होती है वह है–

(अ) राष्ट्रपति (ब) संसद

(स) लोकसभा (द) राज्यसभा ( )

(2) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जिसके द्वारा किया जाता है, वह है

(अ) जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर

(ब) लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा

(स) विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा

(द) विधानसभा के सदस्यों द्वारा ( )

(3) लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा जितनी अवधि तक रोक सकती है, वह है

(अ) एक माह तक (ब) 3 माह तक

(स) 14 दिन तक (द) 15 दिन तक ( )

(4) संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जिसके द्वारा की जाती है, वह है

(अ) लोकसभा अध्यक्ष (ब) प्रधानमंत्री
(स) उपराष्ट्रपति (द) राष्ट्रपति ( )

(5) राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है

(अ) 5 वर्ष (ब) 6 वर्ष
(स) 4 वर्ष (द) अनिश्चित कार्यकाल ( )

(6) राजस्थान राज्य से कितने लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं ?

(अ) 30 सदस्य (ब) 54 सदस्य
(स) 25 सदस्य (द) 15 सदस्य ( )

(7) राज्य सूची में दिये गये विषय को राष्ट्रीय महत्त्व का घोषित करने का अधिकार जिसे है, वह है

(अ) लोकसभा (ब) राज्यसभा
(स) संसद के दोनों सदन (द) संसद के दोनों सदन व राष्ट्रपति ( )

(8) 'कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं इस विषय में अनिश्चितता होने पर अन्तिम निर्णय का अधिकार जिसे प्राप्त है, वह है

(अ) राष्ट्रपति (ब) राज्यसभा का सभापति
(स) लोकसभा अध्यक्ष (द) प्रधानमंत्री ( )

(9) राज्य सभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है

(अ) 25 वर्ष (ब) 21 वर्ष
(स) 18 वर्ष (द) 30 वर्ष ( )

(10) संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का निर्माण होता है

(अ) लोकसभा से (ब) राज्यसभा से
(स) राष्ट्रपति से (द) लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से ( )

अति– लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है?

(2) धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में व किसके द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है ?

(3) उपराष्ट्रपति पर महाभियोग सर्वप्रथम संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है ?

(4) लोकसभा में किस राज्य से सर्वाधिक सदस्य निर्वाचित होकर आते है एवं कितने आते है ?

(5) राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस निर्वाचन पद्धति से किया जाता है?

(6) राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर प्रदान किया गया है?

(7) संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है एवं उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है ?

(8) लोकसभा और राज्य सभा का सदस्य बनने हेतु योग्यता की दृष्टि से एक प्रमुख अन्तर बताइये ?

(9) लोकसभा व राज्य सभा के कार्यकाल के आधार पर प्रमुख अन्तर बताइये ?

(10) देश की जनसंख्या में वृद्धि होते हुये भी लोकसभा की सदस्य संख्या में आगामी कौन–सी जनगणना तक वृद्धि नहीं हो सकेगी ?

लघुत्तरात्मक प्रश्न

(1) लोकसभा की ऐसी दो शक्तियाँ बताइयें जिनके आधार पर वह राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली मानी जाती है ?

(2) धन विधेयक और साधारण विधेयक तथा सरकारी व गैर सरकारी विधेयकों में क्या अन्तर है ?

(3) राज्य सभा की ऐसी दो शक्तियाँ बतलाइये जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है?

(4) व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार रखती है ?

(5) लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख पाँच कार्य बताइये ?

(6) राज्य सभा सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में संक्षेप में विवेचन कीजिए ?

(7) संसद में धन विधेयक की प्रक्रिया के विषय में संक्षेप में बताइये ?

(8) आपातकाल की प्रक्रिया बताइये एवं भारत में अब तक कितनी बार व कब–कब आपातकाल लगा है ? बताइये।

(9) लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली की व्याख्या कीजिये ?

(10) राज्यसभा के कार्य व अधिकार बताइये ?

निबन्धात्मक प्रश्न

(1) राज्यसभा के संगठन और शक्तियों का वर्णन कीजिए ?

(2) लोकसभा के संगठन व शक्तियों का वर्णन कीजिए ?

(3) संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की शक्तियों की तुलना कीजिए ?

(4) संघीय व्यवस्थापिका (संसद) की शक्तियों और कार्यों की विवेचना कीजिए?

उत्तरमाला

1. (स) 2. (द) 3. (स) 4. (अ) 5. (ब) 6. (स) 7. (ब) 8. (स) 9. (द) 10. (द)